

भारत का महान्यायवादी The Attorney General of India

भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है तथा भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह (Advice) देता है। वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है।

(तो वह भारत सरकार का पक्ष S.Court और H.Court में रखता है।)

He is the highest legal officer of the Government of India and advises the Government of India on legal matters. He also represents the Government of India in the Supreme Court and High Courts.

अनुच्छेद 76 (1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है* तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त (During the Pleasure of the President) अपना पद धारण करता है।* अतः राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है।

According to Article 76 (1) the Attorney General is appointed by the President on the advice of the Union Council of Ministers* and holds office during the pleasure of the President.* Hence, the President can remove him at any time.

वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त भी हो सकता है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है।

He can also resign by submitting his resignation to the President. The Attorney General is paid remuneration determined by the President. The President appoints a person as the Attorney General who is qualified to become a judge of the Supreme Court.

नियुक्ति - राष्ट्रपति

हटाता → राष्ट्रपति

त्यागपत्र → राष्ट्रपति

मंत्रिपरिषद् की सलाह से

राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण

→ कार्यकाल (Term) → Not fixed (निर्दिष्ट नहीं)

→ महान्यायवादी के योग्यताएं

Qualifications of Attorney General → भारत का नागरिक

→ 5 वर्ष का जज्ज के अनुभव → H. Court / अथवा 07

→ 10 वर्ष का अधिवक्ता " " → H. Court

→ 07 अथवा → राष्ट्रपति की सय पारंगत विधिबद्धता

६।) भारत का नागरिक ✓

अनु. 124 (3) (i) एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या ~~(ii)~~ एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो अथवा ~~(iii)~~ राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता (Jurist) हो। 05

Article 124 (3) (i) has been a Judge of one or more High Courts for five years, or ~~(ii)~~ has been an advocate of one or more High Courts for ten years, or ~~(iii)~~ is a distinguished jurist in the opinion of the President.

विधियों का अटूट ज्ञान (Good Knowledge of Law's)

महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई (Audience) का अधिकार होता है। अनु. 88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार व्यक्त कर सकता है; किन्तु मतदान नहीं कर सकता है;

The Attorney General has the right of audience in all the courts of India. Under Article 88, the Attorney General has been given the right to participate in the proceedings of both the houses of the Parliament and express his opinion; but cannot vote;

अज्त 88 → महान्यायवादी को अधिकार

(1) संसद को बैठकों में भाग ले सकता है।

(2) संसद को बैठकों में चर्चा कर सकता है।

(3) लेकिन मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।

वेतन (Salary) ⇒ राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित (Determined by the President)
↳ निश्चित नहीं।, वेतन भारत की संघित नीति से दिया जाता है।

⇒ Salary Payed from Consolidated fund of India. //

⇒ वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (Judges of Supreme Court) के समान।

↳ वेतन (Salary) → ₹ 2,50,000 ₹ 0

राज्य

राज्य का महाधिवक्ता The Advocate General of State

राज्यों को विधिक सलाह देने के लिए, अनु. 165 के तहत महाधिवक्ता (The Advocate General) नामक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। *

To give legal advice to the states, Article 165 provides for an authority called The Advocate General. The Advocate General is the highest legal officer of the state. *

राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, संबन्धित राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। (अनु. 217 (3) वह भारत का नागरिक हो तथा कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो

The Governor can appoint any person who is qualified to be appointed as a Judge of the High Court as the Advocate General of the concerned state. (Article 217 (3) He should be a citizen of India and should have held a judicial office for at least 10 years or should have practised as an advocate in a High Court for at least 10 years

नियुक्ति
हटाता कौन? > राज्यपाल (राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर)

किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण => राज्यपाल

कार्यकाल -> निर्धारित नहीं (Not fixed)

त्यागपत्र -> राज्यपाल

वेतन कौन निर्धारित? -> राज्यपाल

वेतन कहां से दिया जायेगा? => राज्य की संचित निधि

वेतन किसके समान होता है? => उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान


Q => किसके समान योग्यताएं होने

चाहिए? => उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान

< वेतन (Salary) 2.25 लाख रु०

महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त (During the Pleasure) अपना पद धारण करता है अर्थात् उसकी पदावधि नियत नहीं है तथा ऐसा पारिश्रमिक (Remuneration) प्राप्त करता है जो राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाय।

The Advocate General holds office during the pleasure of the Governor, i.e., his tenure is not fixed and he receives such remuneration as may be determined by the Governor.



महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य विधि सम्बन्धी ऐसे सब विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना है जिन पर राज्यपाल उससे परामर्श माँगे। महाधिवक्ता को राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किन्तु मतदान का अधिकार नहीं है* (अनु. 177)। उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। *

The main work of the Advocate General is to advise the State Government on all such law related matters on which the Governor seeks his advice. The Advocate General has the right to participate and speak in the proceedings of the State Legislature but does not have the right to vote* (Article 177). He has the right to be heard in any court of the State.

कार्य → (1) विधिगत मामलों पर राज्य सरकार को बलाह देना

(2) उच्च न्यायालय (H. Court) में राज्य सरकार का पक्ष रखना।

(3) इसे भारत के किसी भी H. Court में सुनवाई का अधिकार होता है।

Art. 177 ⇒ महाधिवक्ता के अधिकार (Right to Advocate General)

(1) विधानमंडल (Legislature) को बैठकों में भाग ले सकता है।

(2) " " " " " " चर्चा कर सकता है।

(3) लिखित मतदान नहीं कर सकता। क्योंकि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है।

❖ राज्यपाल के बारे में प्रावधान भाग-6, अनु. 153-162 में दिया गया है। अनु. 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, (परन्तु एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है) ⇒ (7 संविधान संशोधन 1956)

Provisions regarding the Governor are given in Part-6, Articles 153-162. Article 153 states that there shall be a Governor for each State, (but the same person may be appointed as the Governor of two or more States.) ⇒ 7CA 1956

राज्य कार्यपालिका

State executive

- राज्यपाल (Governor)
- राज्य मंत्रिपरिषद् (State CM) ✓
- मुख्यमंत्री (Chief Minister) ✓
- महाधिवक्ता (Advocate General) ✓

Art 153

⇒ 1 राज्य - 1 राज्यपाल

↳ 7 वां CA 1956

⇓
2 वा 2 से अधिक राज्यों का - 1 राज्यपाल

राज्यपाल की नियुक्ति Appointment of Governor

❖ संविधान के अनु. 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है।

Under Article 155 of the Constitution, the Governor is appointed by the President. The President appoints a person nominated by the Central Government as the Governor of a State.

Art. 155 → राज्यपाल की नियुक्ति → राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन
केन्द्र सरकार की सलाह पर।

→ Art. 154 → राज्य कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी
जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों
के माध्यम से करेगा। (State executive Powers vested in Governor.
used ← By him or
By subordinate officers.

राज्यपाल का कार्यकाल Term of office of Governor

❖ अनु. 156 के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करता है। साधारणतः वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है।

According to Article 156, the Governor holds office during the pleasure of the President. Generally, he can remain in office for a maximum of 5 years.

❖ इस अवधि के पूर्व वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है।

Before this period, he can resign from his post by submitting his resignation to the President.

❖ कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ✓✓

Even after the term ends, he continues to hold his post until another person takes his place.

कार्यकाल \Rightarrow 5 वर्ष (पद ग्रहण के दिन से)

त्यागपत्र \Rightarrow राष्ट्रपति

हटाता कौन है \Rightarrow राष्ट्रपति (लेकिन केंद्र सरकार को बम्लाह पर)

\Rightarrow राज्यपाल किसेक प्रसाद - पर्यंत पद धारण ? \Rightarrow राष्ट्रपति

Q \Rightarrow क्या राज्यपाल 5 वर्ष के पश्चात् अपने पद पर रह सकता है?

Yes/हाँ ✓

राज्यपाल की अर्हतायें Qualifications of Governor

❖ अनु. 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए दो योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। प्रथम, वह भारत का नागरिक हो और द्वितीय, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो।

According to Article 157, two qualifications are necessary for appointment to the post of Governor. First, he should be a citizen of India and second, his age should be more than 35 years.

Art. 158
✓ (3) लाभ के पद पर न हो। (Do not Hold office of the Profit)
(4) पागल न हो। (Do not unsound mind. (5) दिवालिया न हो। Do not insolvent

❖ राज्यपाल संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है और यदि वह किसी सदन का सदस्य है।

A Governor cannot be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of a State and if he is a member of either House.

❖ तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान (Seat) रिक्त समझा जाता है तथा वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है (अनु. 158)।

Then, from the date of his appointment to the post of Governor, his seat in that House is considered vacant and he cannot hold any office of profit (Article 158).



MP X
MLA X
MLC X

कि अगर वह राज्यपाल नियुक्त होने से पहले अगर MP/MLA/MLC हो तो ?

↓
राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के दिन से पद रिक्त हो जायेगा।

राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते Salary and Allowances of the Governor

निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते 'राज्य की संचित निधि (Consolidated fund of State) से दिये जाते हैं, वेतन (Salary) 3.5 Lakhs ₹०

The Parliament makes the determination through law.

The Governor's salary and allowances are paid from the

Consolidated Fund of the State.

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान Oath or Affirmation by the Governor

❖ अनु. 159 राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।

Article 159 The Governor shall make and subscribe the oath or affirmation before the Chief Justice of the High Court of the State.

राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य Powers and Function of Governor

कार्यपालिका शक्तियाँ Executive Powers

❖ अनु. 154 (1) के अनुसार 'राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।'

According to Article 154 (1), 'the executive power of the State shall be vested in the Governor and he shall exercise it either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution.'

❖ राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों, कर्की नियुक्ति करता है*

The governor appoints high officials of the state.

विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

❖ अनु. 174 के अनुसार- राज्यपाल, राज्य विधानमण्डल के एक या दोनों सदनों का समय-समय पर अधिवेशन (सत्र) बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान (Prorogue) कर सकता है;

According to Article 174- The Governor can call a session of one or both the Houses of the State Legislature from time to time and can prorogue it;

❖ राज्यपाल विधानसभा को विघटित (Dissolve) भी कर सकता है किसी सदन या सदनों को संदेश (Message) भेज सकता है (अनु. 175)। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में, विधानसभा में (तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ एक साथ समवेत दोनों सदनों में) विशेष अभिभाषण करता है (अनु. 176)।

The Governor can also dissolve the Legislative Assembly and send a message to any House or Houses (Article 175). At the beginning of the first session of each year, he makes a special address to the Legislative Assembly (and in states where there is a Legislative Council, to both the Houses assembled together) (Article 176).

अध्यादेश जारी करने की शक्ति Power to Promulgate Ordinances

वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

❖ वित्त मंत्री द्वारा 'वार्षिक आय-व्यय का अनुमानित विवरण' अर्थात् 'बजट' विधान मण्डल के समक्ष रखवाता है* (अनु. 202)।

The finance minister places the 'Estimated Statement of Annual Income and Expenditure' i.e. 'Budget' before the Legislature* (Article 202).

❖ राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधान सभा में पेश किया जाता है।

The money bill is introduced in the Legislative Assembly only with the permission of the Governor.

❖ राज्य सरकार की 'आकस्मिक निधि' पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है।

The Governor has control over the 'contingency fund' of the state government.

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

- ❖ अनु. 161 - किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा (Pardons) करने, उसका प्रविलम्बन (Reprives) करने, विराम (Respites) या परिहार (Remissions) करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, या लघुकरण (Commute) की शक्ति है। राज्यपाल को मृत्युदण्ड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है Article 161 - Power to pardon, reprieve, remit or remit the punishment of any person convicted of any crime or to suspend or commute the sentence. Governor does not have the power to pardon a person sentenced to death.